न0:–83/2018 तारीखरजू:–04.07.2018 निर्णय दिनांकः–

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

गिर्राज सिंह उर्फ किशोर सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. आलम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह

जाति राजपूत निवासी राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 83/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व ..... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.08.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

तारीखरजू:–04.07.2018 निर्णय दिनांकः–

उनवानः– गिर्राज सिंह बनाम आलम सिंह

उनवानः– गिर्राज सिंह बनाम आलमसिंह

–83/2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 04.07.2018

मु0न0 83/2018

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

गिर्राज सिंह उर्फ किशोर सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. आलम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
   जाति राजपूत निवासी राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकट वादी

निर्णय दिनांक 30.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 मे वादीगण के अलावा अन्य दीगर व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। तथा वादी ही उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। वादी की उक्त आराजी के पास मे प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी होने के कारण प्रतिवादीगण, वादीगण की आराजी को लट्ठ के बल पर जबरन हडपना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है।

बॉका दिनांक 20.06.2018 को अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात की साल संभल करने व जुताई करने के लिये गये थे तभी मौके पर प्रतिवादीगण आ गये, तथा वादी से कहा किइस भूमि पर क्या देखने आये हो, इस भूमि को तो मे इस वर्ष काश्त करूगा तथा तुम्हे काश्त नही करने देगे। तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुम्हारा उक्त भूमि से क्या वास्ता है, यह भूमि तो हमारी कब्जे काश्त की आराजी है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि तुम हमे परेशान मत करो लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी की एक नही सुनी, तथा ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हे करना है जो करलो हम तुम्हे बेदखल करेगे। इसलिये वादी को दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 को शान्ति पूर्व उपयोग उपभोग करने दवे। तथा वादीगण को बेदखल नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया, लेकिन दिनांक 20.01.2023 को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीयक कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से दिनांक 10.02.2020 को स्पष्ट की गई तनकीयात के निर्णय किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की जमाबन्दी सम्वत 2072–78 प्रदर्श–1 पेश की, तथा अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का बयान करते हुये कथन किया कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 मे वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। वादी की उक्त आराजी के पास मे प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी होने के कारण प्रतिवादीगण, वादीगण की आराजी को लट्ठ के बल पर जबरन हडपना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार नही है। अत वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजीयात मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 मे वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने वादपत्र मे उपस्थिति दर्ज करवाकर जबाब भी पेश किया लेकिन बाद मे अनुपस्थित न्यायालय रहने से वादी का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजी ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी